Press Release
14/06/2023

Directorate of Enforcement (ED) has arrested T. Venkattram Reddy, P. K. Iyer [Promoters & ex-Directors of M/s Deccan Chronicle Holdings Limited (DCHL)] and Mani Oommen [statutory auditor of DCHL] in a bank fraud case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.

ED hadinitiated money laundering investigation on the basis of multiple FIRs registered by CBI Bengaluru and Telangana Police for criminal conspiracy, cheating and forgery by M/s DCHL, its promoter, directors & others. Prosecution Complaint filed by Securities & Exchanges Board of India against M/s DCHL & others was also taken within the ambit of PMLA investigation.

PMLA investigation revealed that T. Venkattram Reddy, Chairman of M/s DCHL, along with the other promoters/directors, in connivance with the statutory auditor, defrauded the banks and NBFCs. DCHL availed 111 credit facilities from 16 public sector and private banks to the tune of Rs. 9,805 Crore on the pretext of working capital / business expansion requirements. However, these loans were taken by DCHL on the basis of fabricated books of accounts and the company did not disclose its correct loan liabilities to the banks. DCHL and their promoters/directors understated the financial charges and overstated advertising revenues to consistently defraud the banks for obtaining new loans.

The loan funds were diverted and siphoned off by the promoters of the company in several ways and for various purposes, including:

i. Diversion of new loans for repayment of existing loans. In complete violation of the loan terms & conditions, M/s DCHL utilized 73% of the loan amounts only for the cyclical repayment of existing loans. Eventually, the loans turned into non-performing assets and M/s DCHL defaulted on principal loans of around Rs. 3,000 Crore and caused a total loss of Rs. 8,180 Crore to the banks and other financial creditors.
ii. Diversion of funds to their subsidiaries & associated entities including investment in Indian Premier League (IPL).
iii. Purchase of a private aircraft by T. Venkattram Reddy and purchase of a fleet of high-end cars worth more than Rs. 30 Crore by P. K. Iyer.
iv. Payments to charitable trusts which were withdrawn and illegally returned back to the promoters of M/s DCHL in cash.
v. Declaring and distributing dividends by showing fictitious profits. The promoters, who were holding up to two-thirds of the shareholding in the company, pocketed an amount of around Rs. 143 Crore among themselves.
vi. Diversion of Rs. 253 Crore for buy-back of shares with an intent to bolster the stock prices and to project a financially rosy picture.

Earlier, ED had attached movable/immovable properties of M/s DCHL and its promoters/directors amounting to Rs. 386.17 Crore in this case.

Further investigation is in progress.

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिनांक 13-06-2023 को टी वेंकटराम रेड्डी, पीके अय्यर [मेसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) के प्रमोटरों और पूर्व निदेशकों] और मणि ओमेन [डीसीएचएल के वैधानिक लेखा परीक्षक] को गिरफ्तार किया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) बेंगलुरु और तेलंगाना पुलिस द्वारा मेसर्स डीसीएचएल, इसके प्रमोटरों, निदेशकों एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर ईडी ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच शुरू की। मैसर्स डीसीएचएल और अन्य के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दायर अभियोजन शिकायत को भी पीएमएलए जांच का आधार बनाया।

पीएमएलए की जांच से पता चला कि मेसर्स डीसीएचएल के अध्यक्ष टी. वेंकटराम रेड्डी ने अन्य प्रमोटरों/निदेशकों के साथ और वैधानिक लेखा परीक्षक की मिलीभगत से बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को धोखा दिया। डीसीएचएल ने कार्यशील पूंजी/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताओं के बहाने 16 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों से 9,805 करोड़ मूल्य तक की 111 ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। हालांकि, ये ऋण (लोन) डीसीएचएल द्वारा जाली लेखाखातों के आधार पर लिए गए थे और कंपनी ने बैंकों के समक्ष अपनी सही ऋण देनदारियों का खुलासा नहीं किया था। डीसीएचएल और उनके प्रमोटरों/निदेशकों ने नए ऋणों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय शुल्क को कम और विज्ञापन राजस्व को अत्यधिक दिखाकर बैंकों को लगातार धोखा दिया ।

कंपनी के प्रमोटरों द्वारा लोन के पैसों का विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग तरीकों से विपथित (डायवर्ट) और हेरा फेरी (साइफन) किया गया, जिनमें शामिल हैं:

i. मौजूदा ऋणों की चुकौती (पुनर्भुगतान) के लिए नए ऋणों का विपथन (डायवर्जन)।

ऋण नियमों और शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए, मेसर्स डीसीएचएल ने मौजूदा ऋणों के चक्रीय चुकौती (पुनर्भुगतान) के लिए ऋण (लोन) राशि का 73% उपयोग किया। अंतत:, ऋण (लोन) अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए और मेसर्स डीसीएचएल द्वारा मूल ऋणों (लोन) पर लगभग रु 3,000 करोड़ रुपए का चूक (डिफ़ॉल्ट) किया जिससे बैंकों और अन्य वित्तीय लेनदारों को कुल 8,180/- करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

ii. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में निवेश सहित उनकी सहायक कंपनियों और संबद्ध संस्थाओं को निधियों का विपथन।

iii. टी. वेंकटराम रेड्डी द्वारा निजी विमान की खरीद और पी. के. अय्यर द्वारा 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अनेक महंगी कारों की खरीद।

iv. धर्मार्थ न्यासों (चैरिटेबल ट्रस्टों) को भुगतान किया गया जोकि वापस निकालकर मैसर्स डीसीएचएल के प्रमोटरों को अवैध रूप से नकद में वापस कर दिया गया।

v. अवास्तविक लाभ दिखाकर लाभांश की घोषणा और वितरण।कंपनी में दो-तिहाई तक शेयरधारिता रखने वाले प्रमोटरों द्वारा लगभग 143 करोड़ रुपए आपस में हड़प लिए गए।

vi. स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने और वित्तीय रूप से लुभावनी तस्वीर पेश करने के इरादे से शेयरों को वापस खरीदने के लिए 253 करोड़ रुपये का विपथन (डायवर्जन)।

इससे पहले, ईडी द्वारा इस मामले में मेसर्स डीसीएचएल और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के रुपये 386.17 करोड़ की चल/अचल संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है ।

मामले में, आगे की जांच चल रही है।